न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः–श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 62–दो/1991 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 30–11–1990 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 50/1978–79/अपील

......

शिवदयाल पुत्र मथुरा प्रसाद
निवासी- ग्राम जमसारा, तहसील अटेर
जिला–भिण्ड, म0प्र0

.... आवेदक

विरूद्ध

1- जनमजय
2- रामचन्द्र
3- सुदामा
4- छोटे
5- रामपुर्ति, पुत्रगण बद्रीप्रसाद
6- बाबूराम
7- बैजनाथ
8- रामविलास, पुत्रगण सूरजपाल
तहसील अटेर जिला भिण्ड, (म0प्र0) द्वारा प्राचार्य

....................अनावेदकगण

....

श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक, आवेदक

....

आदेश
(आज दिनांक 3-8-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 50/1978–79 में पारित आदेश दिनांक 30–11–1990 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम जमसारा स्थित प्रश्नाधीन भूमि जिसका सर्वे क्रमांक 894, 895, 931, 834, लगा0 939, 944 रकबा 17 बीघा 2 बिस्वा एवं सर्वे क्रमांक 881 के रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा के भाग 1/2 पर राजस्व अभिलेखों में रामजस पुत्र पानसिंह भूमिस्वामी अंकित था । भूमिस्वामी रामजस की मृत्यु दिनांक 14.07.70 को होने के उपरांत

उक्त विवादित भूमियों पर नामांतरण हेतु बाबूराम, बैजनाथ, रामविलास पुत्रगण सूरजपाल, निवासी ग्राम रिदौली, जनमेजय पुत्र बद्रीप्रसाद, निवासी–ग्राम प्रतापपुरा एवं कनिष्क महाविदयालय, जमसारा द्वारा आवेदन पत्र नायब तहसीलदार अटेर के न्यायालय में पेश किया गया। तहसील न्यायालय अटेर में प्रकरण क्रमांक 108/69–70/110/अ–6 दर्ज किया गया एवं जांच उपरांत दिनांक 21.09.73 द्वारा निम्न में से किसी भी व्यक्ति को मृतक रामजस का उत्तराधिकारी न पाये जाने पर विवादित भूमि शासन के वेष्टिस करने का आदेश दिया गया । नायब तहसीलदार अटेर के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा पृथक–पृथक से अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के न्यायालय में अपील पेश की गई । अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में विधिवत प्रकरण क्रमांक 42/73–74/अपील पर पंजीबद्ध किया गया और दिनांक 26.10.74 द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 21.09.73 को निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया कि वसीयत और उत्तराधिकारी प्रावधानों के संदर्भ में साक्ष्य ग्रहण कर विस्तृत विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले और जो वैध उत्तराधिकारी पाये जाने पर उसका नामांतरण उक्त वादग्रस्त भूमियों पर किया जावे । प्रकरण प्रत्यावर्तित होने पर पुनः नायब तहसीलदार द्वारा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दिनांक 07.04.75 द्वारा मृतक भूमिस्वामी की भूमि पर जनमेजय, रामचन्द्र, सुदामा, छोटेलाल एवं राममूर्ति को नामांतरण की पात्रता पाये जाने पर अन्य लोगों के आवेदन पत्र निरस्त कर दिये गये। नायब तहसीलदार अटेर के उक्त आदेश दिनांक 07.04.75 से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा पुनः अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के न्यायालय में पृथक–पृथक से अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने प्र0क0 217/74–75/अपील एवं 239/74–75/अपील दर्ज किया और दिनांक 22.09.75 द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 07.04.75 को स्थिर रखते हुये दोनों अपील निरस्त कर दी । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के यहाँ अपील प्रस्तुत की गई। प्रकरण क्रमांक 50/78–79/अपील माल में दर्ज होकर आदेश दिनांक 30.11.1990 को प्रस्तुत अपील अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 30.11.1990 से असंतुष्ट होकर आवेदकगण द्वारा निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया है कि आवेदक द्वारा अनावेदकगण के स्वत्व के सम्बन्ध में जो आधार बहस के समय तथा अपील ज्ञाप में उठाये गये थे उनको

कोई निराकरण विवादित आदेश में नहीं किया गया है । अनावेदकगण के स्वत्व के समबन्ध में मात्र यह कह देना कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एक से है, वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियों एवं साक्ष्य को देखते हुये उचित नहीं है, क्योंकि पूर्व में एक बार तहसील न्यायालय तथा स्वयं अपर आयुक्त ने साक्ष्य का विश्लेषण करने के पश्चात अनावेदकगण का स्वत्व न होने के निष्कर्ष निकाले थे । उन्होंने अपने तर्क में यह भी बताया कि अनावेदक क्र0 1 से 5 का मृतक से कोई सम्बन्ध नहीं है । उन्हें विवादित भूमि मृफ्त में प्राप्त हुई थी । इसी कारण उन्होंने ऐसे पक्ष से राजीनामा कर लिया जिसका विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था तथा जिनका मृतक से कोई संबंध नहीं था । उक्त कार्यवाही से मृतक की भूमि अनाधिकृत व्यक्ति का नामांतरण स्वत्वहीन आधार पर होगा । आवेदक के अभिभाषक ने तर्क में यह भी बताया कि आवेदक मृतक की बहन का पुत्र है तथा स्वयं अपर आयुक्त के निर्णय के अनुसार वह मृतक का निकटस्थ था तथा मृतक उसी के संरक्षण में रहता था। ऐसी परिस्थितियों में मात्र कलम के उपयोग के आधार पर वसीयतनामें को संदिग्ध मानना न्यायोचित नहीं है । ग्रामीण व्यक्तियों के कथनों में सूक्ष्म अन्तर आना समय के साथ संभव है। उनके कथनों में ऐसी कोई विसंगति अधीनस्थ न्यायालय नहीं पाई है जो वसीयतनामें के निष्पादन को संदिग्ध बनाती हो । हस्ताक्षरों की स्याही के सम्बन्ध में निकाला गया निष्कर्ष विधिसम्मत नहीं है क्योंकि बिना विशेषज्ञ की राय के न्यायालय द्वारा इस प्रकार के निष्कर्ष निकालना न्यायोचित नहीं है । अतः निगरानी स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जावे ।

3/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये, गुण–दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने के लिये रखा गया है ।

4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का परिशीलन किया। अभिलेख से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा मृतक रामजस द्वारा निष्पादित तथाकथित वसीयतनामा के संबंध में कोई विवेचना अपने आदेशों में नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालयों ने शिवदयाल को इस इस कारण अपात्र घोषित किया वह मृतक रामजस का भांजा नहीं है, क्योंकि मृतक रामजस के कोई बहिन नहीं थी । अधीनस्थ न्यायालयों ने उसके द्वारा प्रस्तुत तथाकथित वसीयतनामा जो पंजीकृत नहीं है पर कोई निष्कर्ष अपने आदेशों में नहीं निकाला है । अतः अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के

न्यायालय के समक्ष इस तथाकथित वसीयतनामा पर राजस्व मण्डल के निर्णय के परिप्रेक्ष्य मे विचार करना है । वसीयतनामा के गवाह हरीसिंह व रामगोपाल है तथा वसीयतनामा प्रतापसिंह द्वारा लिखा गया है। ये तीनों ही व्यक्ति अपने कथनों में इस बात को स्वीकार करते है कि " वसीयतनामा उनके समक्ष निष्पादित किया गया । वसीयतनामा मृतक रामजस द्वारा लिखाया गया और प्रतापसिंह द्वारा लिखवा गया है । शिवदयाल अपने कथन में कहता है कि " रामगोपाल और हरीसिंह के आने के बाद वसीयत लिखी गई । प्रताप सिंह पहले आदोन में ग्रामसेवक थे । " वह आगे कहता है कि जिस कलम से वीसायत लिखी गई थी उसी कलम से रामजस ने हस्ताक्षर किये थे । " गवाह हरीसिंह वसीयत लिखे जाने की बात अपने कथन में कहता है और वह अपने कथन में यह भी कहता है कि "वसीयतनामा पेन से लिखा गया था । रामजस ने पेन से दस्तखत किये थे ।" प्रताप सिंह की कलम से मैंने दस्तखत किये। रामगोपाल ने भी प्रतापसिंह के कलम से दस्तखत किये थे। मुझे याद नहीं कि रामजस ने भी प्रातपसिंह के कलम से हस्ताक्षर किये । " वसीयतनामा का लेखक प्रतापसिंह अपने कथन में कहता है कि "वसीयतनामा लिखने के एक महीने के करीब रामजस जिंदा रहे । मुझे नहीं मालुम की उस एक महीने में कहाँ रहे । पहले हरीसिंह लिखते समय आये फिर रामगोपाल आये तथा लिखा पढ़ी चालू हुई । " गवाह रामगोपाल अपने अपने बयान में कहता है कि "रामजस हरीसिंह ने दस्तखत मेरे सामने किये थे । रामजस केवल दस्तखत करना जानते थे। रामजस ने स्कूल का हाल बनवाया था । शिवदयाल छोटे सेकेटरी उपमंत्री थे । शिवदयाल रामजस के घर में ज्यादा आत-जाते थे । रामजस की रोटी पानी शिवदयाल के जिम्मे थी । शिवदयाल पर ही भरोसा करते थे ।" आगे वह कहता है कि प्रताप लिखते जाते थे । प्रतापसिंह ने पढ़कर वसीयत सुनाया था । इसके बाद रामजस ने मुझसे दस्तखत करने को कहा तब मैंने दस्तखत किये । हरीसिंह व रामजस दस्तखत कर चुके थे । प्रतापसिंह ने पेन से लिखा था सभी ने एक ही पेन से दस्तखत किये थे। वहां दूसरा पेन था ही नहीं ।"

5/ उपरोक्त चारों व्यक्तियों के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि वसीयतनामा जिस कलम से लिखा गया था उसी कलम से गवाहों ने हस्ताक्षर किये थे । किन्तु वसीयतनामा को देखने से यह प्रकट होता है कि रामजस ने अलग कलम से हस्ताक्षर किये थे और अन्य गवाहों ने अलग-अलग कलम पेन से हस्ताक्षर किये है । यदि वसीयतनामा वास्तव में रामजस के जीवनकाल में निष्पादित किया गया होता तो सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर एक ही स्याही तथा

एक ही वकील से किए जाना पाये जाते जैसेकि उन्होंने अपने कथनों में स्पष्ट किया है । ऐसा में नायब तहसीलदार अटेर द्वारा निकाला गया निष्कर्ष विधिनुकूल प्रतीत होता है । चूँकि शिवदयाल स्कूल का सारा कार्य देखता था, स्कूल के लिखापढ़ी के संबंध में रामजस से हस्ताक्षर करवा लिया करता था, हो सकता है उसने कोरे कागज पर रामजस के हस्ताक्षर करवा लिये हों और बाद में उसी कागज पर वसीयत अपने हक में लिखवा कर सभी गवाहों के हस्ताक्षर करवा लिये । ऐसी स्थिति में उक्त वसीयतनामा शंकास्पद प्रतीत होता है । अतः शंकास्पद वसीयतनामा मान्य नहीं किया जा सकता है ।

6/ बाबूराम आदि रामजस के मातृपक्ष के वारिसान की श्रेणी में आते है जबकि जनमेजय आदि जो कि रामजस के पितृपक्ष के वारिसान के श्रेणी में आते है । ऐसे में हिन्दू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत रामजस की संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त होता है । अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा तथ्यात्मक बिन्दु पर निकाले गये निष्कर्ष सारवर्ती होने से उनमें हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता । अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के आदेश दिनांक 22.09.75, नायब तहसीलदार अटेर के आदेष दिनांक 07.04.75 एवं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के आदेष दिनांक 30.11.1990 स्थिर रखा जाता है ।

7/ आवेदक बाबूराम आदि की ओर से अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय का ध्यान इस ओर कराया है कि पूर्व में बाबूराम आदि तथा जनमेजय आदि के मध्य राजीनामा का आवेदन अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जो, कि स्वीकार किया गया था। किन्तु न्यायालय अपर आयुक्त ने दोनों अपील प्रकरणों को देखकर यह निष्कर्ष निकाला है कि विवादित भूमि के संबंध में कोई राजीनामा स्वीकार ही नहीं किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के प्र0क्र0 239/74–75/अपील में एक राजीनामा आवेदन लगा हुआ है । यह राजीनामा का आवेदन पत्र बाबूराम आदि तथा जनमेजय आदि द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष दिनांक 26.09.84 को प्रस्तुत हुआ है । जिसकी तस्दीक दिनांक 30.07.84 को तहसीलदार भिण्ड द्वारा की गई है । उक्त राजीनामा के अनुसार तहसीलदार भिण्ड अग्रिम कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है । न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने राजीनामा अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के प्रकरण से अलग करके तहसीलदार भिण्ड को अग्रिम कार्यवाही हेतु उनके प्रकरण में संलग्न कर प्रेषित किया है ।

8/ अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालय के आदेश यथावत रखते हुए, प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर